भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1412

सोमवार, 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

पंजाब में बेरोज़गारी सहायता और रोज़गार के रुझान

1412. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि पंजाब में, विशेषकर युवाओं और औद्योगिक कर्मचारियों के बीच, बेरोजगारी और अर्द्ध-बेरोजगारी बढ़ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य में नवीनतम बेरोजगारी दर और क्षेत्र-वार रोजगार खोने वालों की दर्ज संख्या क्या है;

(ग) क्या पंजाब के लिए कोई विशेष रोजगार सृजन या सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ लागू की गई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या, जारी धनराशि और प्राप्त परिणामों का विवरण क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है और इसी अवधि के दौरान 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अनुमानित यूआर 17.8% से घटकर 10.2% हो गई है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान पंजाब राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित यूआर 7.7% से घटकर 5.5% हो गई है और 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए 21.6% से घटकर 18.8% हो गई है।

इसके अलावा, पंजाब राज्य में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 42.9% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 52.7% हो गया है और इसी अवधि के दौरान 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अनुमानित डब्ल्यूपीआर 31.1% से बढ़कर 37.8% हो गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना (पंजाब के युवाओं सहित) सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी क्षेत्र से जुड़े कार्मिकों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) लॉन्च किया है, जो असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच के लिए वन-स्टॉप-सॉल्यूशन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम - "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" शुरू किया। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में एकल पोर्टल यानी ई-श्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं का एकीकरण शामिल है। इससे ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम के माध्यम से उनके द्वारा अब तक प्राप्त लाभों को देखने का अवसर मिलता है। अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है ताकि ई-श्रम कार्ड धारकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना दावे का लाभ तथा पहुंच मिल सके।

नई श्रम संहिताएं उभरती तकनीकी और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा कवरेज और रोजगार सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

(i) सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमीकरण जिसके अंतर्गत संगठित और असंगठित कामगारों सहित गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, के तहत कवरेज प्रदान किया गया है जिससे रोजगार संबंधी असुरक्षाओं के विरूद्ध सुरक्षा मजबूत हुई है।
(ii) श्रम सुरक्षा उपाय जिनमें औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, के तहत पुन: कौशल निधि और विवाद समाधान तंत्र शामिल हैं, इससे संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तनों के दौरान कार्यबल समायोजन में सुविधा होगी।
(iii) डिजिटल प्रणालियों को अपनाना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण, लाइसेंस, रिटर्न दाखिल करना और प्रौद्योगिकी-सक्षम निरीक्षण शामिल हैं ताकि अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****